"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 238]   रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 जून 2017 —— ज्येष्ठ 30, शक 1939

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, तारीख 8 जून, 2017——18 ज्येष्ठ, 1939 (शक)

अधिसूचना

संख्या 154/CGH/2017-P. Admn.—— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के परामर्श से एतद्द्वारा, श्रीमती निधि छिब्बर, आई. ए. एस. के स्थान पर श्री सुब्रत साहु, आई. ए. एस. (सी. जी. 1992) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है.

2. श्री सुब्रत साहु, छत्तीसगढ़ सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगे या धारण करना समाप्त कर देंगे जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे.

3. श्री सुब्रत साहु, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ के रूप में कार्य करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार के सचिव पदाभिहित किया जाएगा.

आदेश से,

हस्ता./-
(स्टैण्डहोप युहलुंग)
प्रधान सचिव.

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi -110001

New Delhi, Dated 8th June, 2017 —18 Jyaistha, 1939 (Saka)

NOTIFICATION

No. 154/CGH/2017-P. Admn.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India in consultation with the Government of Chhattisgarh hereby nominates shri Subrat Sahoo, IAS, (CG 1992) as the Chief Electoral Officer for the State of Chhattisgarh with effect from the date he takes over charge and until further orders vice Smt. Nidhi Chhibber, IAS.

2. Shri Subrat Sahoo shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Government of Chhattisgarh, which he may be holding before such assumption of office.

3. Shri Subrat Sahoo while functioning as the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of Chhattisgarh except that he should be designated Secretary to the Government in charge of Election Department in the State Secretariat.

By Order,

Sd/-
(STANDHOPE YUHLUNG)
Principal Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.